न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 47/2025(GCMS : 2025/60)

आवास फाईनेंसर्स लि. पंजीकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सक्वेयर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर व **स्थानीय शाखा** कार्यालय शॉप नं. 1 व 2 **द्वितीय तल**, शक्ति मार्ग राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेम सुथार

बनाम

1. **दर्शना देवी** पत्नी बलवन्त सिंह निवासी वार्ड नम्बर 9, ग्राम पोस्ट-संगर, 10 एसजीआर, संगर बीओ जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335803 **द्वितीय पता** - पट्टा नं. 06, बुक नम्बर 99/2013, ग्राम पंचायत संगर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335803
2. **बलवन्त** पुत्र रज्जीराम निवासी वार्ड नं. 9, पोस्ट संगर, 10 एस जी आर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) - 335803

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

01.09.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण दर्शना देवी एवं बलवन्त को ऋण सुविधा के रूप में 2,37,903/-लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 27.11.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 14.10.2024 को 3,31,167/- रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी दर्शना देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 06, बुक नम्बर 99/2013, ग्राम पंचायत संगर तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर(राज.)- 335803, जिसके उत्तर में गणेशा राम, दक्षिण में गली, पूर्व में गणेशा तथा पश्चिम में गली है, उक्त प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 2480 स्केयर फीट है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण दर्शना देवी एवं बलवन्त** को ऋण सुविधा के रूप में 2,37,903/- रूपये (अक्षरे रूपये **दो लाख सैंतिस हजार नौ सौ तीन मात्र)** की स्वीकृति दिनांक 27.11.2022 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दर्शना देवी ने अपनी अचल **सम्पत्ति** पट्टा नं. 06, बुक नम्बर 99/2013, ग्राम पंचायत संगर तहसील सूरतगढ़,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:34:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला श्रीगंगानगर(राज.)– 335803, जिसके उत्तर में गणेशा राम, दक्षिण में गली, पूर्व में गणेशा तथा पश्चिम में गली है, उक्त प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 2480 स्केयर फीट है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.11.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों / जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी दर्शना देवी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 06, बुक नम्बर 99 / 2013, ग्राम पंचायत संगर तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर(राज.)– 335803, जिसके उत्तर में गणेशा राम, दक्षिण में गली, पूर्व में गणेशा तथा पश्चिम में गली है, उक्त प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 2480 स्केयर फीट है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.10.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.10.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.10.2024 को भि[illegible] थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्रा[illegible] ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी[illegible] को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस चस्पा करने की चस्पांदगी रिपोर्ट पेश की है और धारा 13(2) का नोटिस दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:34:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 07.11.2024 को प्रकाशित करवाया हैं, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी दर्शना देवी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी दर्शना देवी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 06, बुक नम्बर 99/2013, ग्राम पंचायत संगर तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर(राज.)–335803, जिसके उत्तर में गणेशा राम, दक्षिण में गली, पूर्व में गणेशा तथा पश्चिम में गली है, उक्त प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 2480 स्केयर फीट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमीील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:34:11 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर